सूचना

धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और इसके तहत निर्मित नियमों तथा साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) के संबंध में जारी निदेशों के अनुसार हमसे अपेक्षित है कि खाता खोलने के समय हम अपने ग्राहकों से उनकी आवश्यक पहचान तथा पते का प्रमाण प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त, हमें संबंधित कागजातों की नवीनतम प्रतियां प्राप्त करके निर्धारित अंतराल (खाते की जोखिम श्रेणी के आधार पर 5 या 2 वर्ष में एक बार) पर इन प्रमाणों का अद्यतन करना है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी ग्राहक जिन्होंने अब तक हमारे पास खाता खोला है, से अपेक्षित है कि वे अपनी शाखा में, जहां उनका खाता है, नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ की दो प्रतियों के साथ पता तथा पहचान प्रमाण तत्काल जमा करें। यह आवश्यकता, प्रत्येक व्यक्ति जिसका अपने नाम पर अथवा अपने संस्था के नाम पर खाता हो और प्रत्येक संयुक्त खाताधारक/सहभागी/निदेशक/न्यास/हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्यों/और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए लागू है। पहचान/पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य कागजातों का विवरण नीचे दिया गया है।

पहचान का प्रमाण	पते का प्रमाण
ए. नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ की दो प्रतियाँ बी. निम्नलिखित प्रलेखों में से किसी एक की भी मूलप्रति तथा प्रतिलिपि जिसमें खाताधारक द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित फोटोग्राफ हो (सत्यापन के बाद मूलप्रति लौटा दी जाएगी)। • पासपोर्ट • पैन कार्ड • मतदाता पहचान पत्र • ड्राइविंग लाइसेंस • नियोक्ता/अन्य बैंक से पहचान पत्र/पुष्टीकरण (बैंक के संतुष्टि के अधीन) • मान्यता-प्राप्त सार्वजनिक प्राधिकरण से पत्र या बैंक के संतुष्टि के अनुसार सरकारी कर्मचारी द्वारा जारी ग्राहक के पहचान एवं निवास का सत्यापन पत्र • यूआईडीएआई द्वारा जारी पत्र जिनमें नाम, पता और आधार संख्या का विवरण हो। • नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड जिसपर विधिवत रूप से राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो (केवल लघु खाते के लिए)।	इनमें से किसी एक कागजाद की मूलप्रति एवं प्रतिलिपि • पासपोर्ट (केवल तभी जब उसमें वर्तमान पता दिया गया हो) • मतदाता पहचान पत्र (केवल तभी जब उसमें वर्तमान पता दिया गया हो) • ड्राइविंग लाइसेंस (केवल तभी जब उसमें वर्तमान पता दिया गया हो) • टेलीफोन बिल (2 माह से पुराना नहीं) • बैंक खाता विवरण • मान्यता-प्राप्त सार्वजनिक प्राधिकारी से प्राप्त पत्र • बिजली का बिल • राशन कार्ड • यूआईडीएआई द्वारा जारी पत्र जिनमें नाम, पता और आधार संख्या का विवरण हो। • नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड जिसपर विधिवत रूप से राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो (केवल लघु खाते के लिए)।

ग्रामीण क्षेत्रों में, उपरोक्त किसी भी कागजात के अभाव में, राशन कार्ड / स्थानीय निकाय/एनजीओ/सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों से प्राप्त पत्र को, पहचान तथा पता के लिए प्रमाण के रूप में (बैंक के संतुष्टि के अधीन) प्रस्तुत किया जा सकता है।

यदि अपेक्षित प्रमाण दिनांक **31.07.2012** तक नहीं दिया गया तो संवैधानिक और विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन के तहत बैंक मजबूर होकर खातों के केवाईसी गैर-अनुपालित परिचालन को बिना किसी सूचना के तथा ग्राहक के जोखिम, उत्तरदायित्व पर रोक दिया जाएगा। साथ ही बैंक किसी अन्य कार्यवाही के प्रति पूर्वाग्रह के बिना अपने स्वविवेक के आधार पर इस प्रकार के खाते को गैर-केवाईसी अनुपालन स्थायी रूप से बंद कर सकता है।

ग्राहक अधिक जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए उस शाखा से संपर्क कर सकते हैं जिसमें उनका खाता है।

हम अपने सभी माननीय ग्राहकों से सहयोग की कामना करते हैं।

महा प्रबंधक
आयोजना एवं विकास विभाग
कॉरपोरेट कार्यालय